

प्रेषक,

आशीष तिवारी,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग- 4

लखनऊ, दिनांक 25 अगस्त, 2017

विषय: वित्तीय वर्ष-2017-18 में "मूसाबाग वन क्षेत्र लखनऊ का विकास एवं संरक्षण योजना" के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा प्रथम पाँच माह (माह अप्रैल, 2017 से अगस्त 2017 तक) के लिए व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि ₹0 41.67 लाख की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी के पत्र सं0-पी-1427/36-बी-8 (मूसाबाग)/2017-18 दिनांक 02 जून, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017 दिनांक 20 मार्च, 2017 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-60 के अन्तर्गत "मूसाबाग वन क्षेत्र लखनऊ का विकास एवं संरक्षण योजना" योजनान्तर्गत धनराशि ₹0 41.67 लाख (₹0 इक्तालीस लाख सड़सठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित लेखा शीर्षकों में व्यय हेतु निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक	धनराशि (₹0 में)
अनुदान संख्या-60-	
पूँजी लेखा-	
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय-	
01-वानिकी -	
800-अन्य व्यय-	
03-"मूसाबाग वन क्षेत्र लखनऊ का विकास एवं संरक्षण	
24-वृहत निर्माण कार्य	4167000
42-अन्य व्यय	-
योग:-	4167000

(₹0 इक्तालीस लाख सड़सठ हजार मात्र)

- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अतः जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यतः प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में

वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं०-सी०ए० 1132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक 7.1.2005 तथा शासनादेश सं०-सी०ए० 1191/दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

- 2- व्यय को निर्धारित मानको के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।
- 3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक उ०प्र० समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थलीय कार्य अनुमोदित आंगणन एवं निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहे हैं तथा इसकी रिपोर्ट शासन को समय-समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।
- 4- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को किसी बैंक/डाक घर खाता /डिपॉजिट खाता अथवा पी.एल.ए. में आदि में जमा नहीं किया जायेगा।
- 5- स्वीकृत धनराशि के व्यय का अधिकार तब होगा जब निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति तथा अपेक्षित गुणवत्ता नियंत्रक अधिकारी, विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित कर दिया गया हो तथा इसका गुणवत्ता प्रमाण-पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र सक्षम स्तर को उपलब्ध करा दिया गया हो।
- 6- स्वीकृत धनराशि प्रधान मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी के पत्र संख्या-पी-1427/36-बी-8(मूसाबाग)/2017-18 दिनांक 2 जून, 2017 में उल्लिखित कार्यमदों में ही व्यय किया जाय।
- 7- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- 8- प्रायोजना प्रतिवेदन में उल्लिखित कार्य यथा एल०आई०टी० वन क्षेत्र के चारों तरफ 8789 र०मी० बाउण्ड्रीवाल का निर्माण, एल०आई०टी० पार्क के फारेस्ट रेन्ज आफिस, मुख्य दवार, वन विश्राम गृह, आवासीय भवनों, वन चेतना पार्क एवं वाटर चैनल व लोटस पॉण्ड का सुदृढीकरण व उच्चीकरण कार्य के अतिरिक्त साइकिल स्टैंड कैन्टीन, झूले, लाइटिंग तथा साइनेज का कार्य ही कराये जाये।
- 9- प्रायोजना प्रस्ताव में पुराने आवासीय/अनावासीय भवनों को तोड़कर नया भवन का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है अतः ध्वस्तीकरण के पश्चात मलवे से प्राप्त धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमोंके अन्तर्गत राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- 10- प्रायोजना में मानकीकरण के अनुरूप आवासीय/अनावासीय भवना का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है इसके अतिरिक्त पुराने भवन के रेनोवेशन का कार्य भी प्रस्तावित किया गया है यह सुनिश्चित किया जाय कि जब नया आवासीय/अनावासीय भवन बनाया जा रहा है तो पुराने भवन के रेनोवेशन की आवश्यकता एवं औचित्यका परीक्षण किये जाने के पश्चात ही रेनोवेशन हेतु धनराशि अनुमन्य की जाय।

- 11-प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/दिवरावृत्ति न हो। समस्त औपचारिकताएं तथा वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 12-यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
- 13-योजनान्तर्गत कार्यों हेतु ई-टेण्डरिंग विषयक समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 14-वित्त विभाग एवं नियोजन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत समस्त सुसंगत शासनादेशों/दिशा-निर्देशों अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- यह आदेश वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-20/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं संख्या-2017/231-2017-दस/348-1-बी/2017/3 दिनांक 20 मार्च, 2017 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबंधों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या-1011(1)/चौदह-4-2017-43(बजट)/2017तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/दिवतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार दिवतीय उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
- 3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र, लखनऊ।
- 4- प्रधान मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
- 6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 / वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
- 7- नियोजन अनुभाग-3/गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(हलधर प्रसाद मिश्रा)
उप सचिव।